

प्रेस नोट दिनांक-22.07.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के निर्देशन में गौरी यादव गैंग की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सरैयां उ०नि० संदीप कुमार पटेल तथा उनकी टीम द्वारा काली घाटी, सरैयां से गौरी यादव गैंग के 02 सदस्यों को अवैध तमंचा व कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि दिनांक-23.06.2021 को वन रक्षक धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा थाना मानिकपुर में सूचना दी गयी कि दिनांक 22.06.2021 को गाढ़ाकछार के जंगलों में गैंग लीडर गौरी यादव ने अपने गैंग के 04-05 सदस्यों के साथ एक राय होकर असलहों से लैस बन क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों को बंधक बनाकर वन विभाग में पैसे की मांग करना असलहे से फायर कर दहशत फैलाकर ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त कर देना। जिसके सम्बन्ध में थाना मानिकपुर में मु०अ०सं० 69/2021 धारा 147/148/149/286/342/387/427/506 भादवि० व 12/14 डीएए एक्ट बनाम गौरी यादव उर्फ उदयभान पुत्र स्व० बाबूलाल निवासी बिलहरी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट एवं उसके साथी सशस्त्र नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में गैंग लीडर गौरी यादव एवं गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु लगातार जंगलों में कॉम्बिंग की जा रही थी। कल दिनांक-21.07.2021 को चौकी प्रभारी सरैया तथा उनकी टीम द्वारा उपरोक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्त (1) अभियुक्त शिवकुमार उर्फ नेता पुत्र बदी निवासी जमुनिहाई थाना मारकुण्डी को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज के साथ तथा उसके साथी अभियुक्त लवलेश यादव पुत्र केशन यादव निवासी जमुनिहाई थाना मारकुण्डी को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों से पूछताछ पर बताए कि लगभग 01 माह पूर्व उन्होने गौरी यादव उर्फ उदयभान पुत्र स्व० बाबूलाल निवासी बिलहरी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट (2) अवधेश कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी साड़ा थाना बरौंधा जनपद सतना म०प्र० (3) राजा उर्फ रामबहोरी पुत्र दुल्ला उर्फ रामदुलारे निवासी बिलहरी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट के साथ मिलकर ग्राम गाढ़ाकछार के जंगलों में वन विभाग के पौधारोपण के कार्य को वन विभाग द्वारा कमीशन न देने के कारण कार्य को रूकवा दिये थे मजदूरों को पकड़कर बैठा लिए थे जब तक वन विभाग से हमारा पैसा नहीं मिल जाता तब तक मजदूरों को कार्य न करने की धमकी दिये थे। अवैध तमंचा व कारतूसों की बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त शिवकुमार उर्फ नेता का अपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 81/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट
2. मु०अ०सं० 25/21 धारा 147/148/149/504/307 भादवि० व 12/14 डीएए एक्ट थाना बहिलपुरवा
3. मु०अ०सं० 69/2021 धारा 147/148/149/286/342/387/427/506 भादवि० व 12/14 डीएए एक्ट थाना मानिकपुर
4. एनसीआर 09/21 धारा 427/504 भादवि थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट

अभियुक्त लवलेश यादव का अपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 69/2021 धारा 147/148/149/286/342/387/427/506 भादवि० व 12/14 डीएए एक्ट थाना मानिकपुर
2. मु०अ०सं० 82/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट
3. एनसीआर 09/21 धारा 427/504 भादवि थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

02 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व 03 जिन्दा कारतूस नाजायज
बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार पटेल चौकी प्रभारी सैरियां
2. आरक्षी दुर्गेश कुमार
3. आरक्षी शिवपाल सिंह
4. रिक्कूट आरक्षी आरिफ असांरी

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 मोहम्मद नईम थाना भरतकूप तथा उनकी टीम द्वारा सुदिनपुर धौरईमोड़ से अभियुक्त दीपू गुप्ता पुत्र रामकेश गुप्ता निवासी धौरईमाफी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

20 अदद क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 मोहम्मद नईम थाना भरतकूप
2. आरक्षी जमुना प्रसाद

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा जमहिल मोड़ से अभियुक्त मुशामी रोहित तिवारी पुत्र प्रमोद तिवारी निवासी ग्राम जमहिल थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 01 किलोग्राम सूखा नाजायज गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाड़ी में धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

01 किलोग्राम सूखा गांजा

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह
2. आरक्षी प्रवीण पाण्डेय
3. आरक्षी पवन कुमार दांगी

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री अजय जायसवाल चौकी प्रभारी शिवरामपुर तथा उनकी टीम द्वारा मछरिया मोड़ से अभियुक्त भूरेलाल पुत्र रामलखन उर्फ लखनलाल निवासी मछरिया थाना कर्वी जनपद चित्रकूट को 25 अदद अवैध क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

25 अदद अवैध क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अजय जायसवाल चौकी प्रभारी शिवरामपुर
2. मु0आरक्षी शिवनरेश द्विवेदी
3. आरक्षी सोनू

(5). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 22.07.2021 एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा लूप लाइन बस स्टेशन, बैंक व कस्बा राजापुर में, एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा बिसंडा तिराहा, बैंक, पालेश्वर नाथ मंदिर की सीढ़ियों आदि जगहों में, एंटी रोमियो मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में, एंटीरोमियो टीम थाना मारकुंडी द्वारा कस्बा मारकुंडी में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा कस्बा बरगढ़ व बैंक में, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम मगरहाई में, एंटीरोमियो टीम थाना मऊ द्वारा बस स्टैंड, मऊ बाजार, आनंदी माता मंदिर में, एंटीरोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुंगी चौराहा, बस स्टैंड, सीआइसी कॉलेज, कालीमाता चौराहा, एसडीएम कॉलोनी में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।

(6). दिनांक-22.07.2021 से 28.07.2021 तक मनाये जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के क्रम में आज दिनांक-22.07.2021 को श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय राज्य मंत्री पीडब्ल्यूडी एवं जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार राय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, एआरटीओ, एवं सांसद प्रतिनिधि श्री शक्ति प्रताप सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट से सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। यातायात प्रभारी एवं टीएसआई के नेतृत्व में जागरूकता रैली कर्वी शहर में निकाली गई। यातायात प्रभारी एवं यातायात पुलिस द्वारा जनता को आडियो सुनाकर व यातायात नियम जागरूकता पम्पलेट्स वितरित कर जागरूक किया एवं आमजनमानस से सड़क नियमों के बारे में जागरूक होकर उनका पालन करने की अपील की।

इस मौके पर यातायात प्रभारी श्री घनश्याम पाण्डेय, पीटीओ, प्रभारी निरीक्षक कर्वी श्री वीरेंद्र त्रिपाठी, टीएसआई श्री योगेश कुमार यादव, श्री पंकज अग्रवाल समाजसेवी, परिवहन अधिकारी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में गुमशुदा/अपहर्ता की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में श्री अवधेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री योगेश तिवारी तथा उनकी टीम द्वारा गुमशुदा 12 वर्षीय बालक अंशू केशरवानी को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया।

बरामद करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 श्री योगेश तिवारी थाना राजापुर
2. उ0नि0 राजकपूर
3. आरक्षी राहुल पाण्डेय

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के निर्देशन में गौरी गैंग की धरपकड़ हेतु चित्रकूट पुलिस द्वारा जंगलों में लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक-22.07.2021 को श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा के नेतृत्व में थाना बहिलपुरवा पुलिस टीम ने ददरीमाफी के जंगलों में एवं श्री रमेश चन्द्र प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी के नेतृत्व में पीएसी एवं थाना मारकुण्डी टीम द्वारा बालचुवा, रुझौटा व छेरिया टंकी के जंगलों में गौरी यादव गैंग की धरपकड़ हेतु कॉम्बिंग की गयी।

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा टिरियापुरवा से अभियुक्त (1) छोटे पुत्र अतीकुल रहमान निवासी पुरानी बाजार कर्वी जनपद चित्रकूट (2) सीताराम पुत्र स्व0 जौहरी प्रसाद निवासी चकमाली अमानपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट (3) मुन्ना पुत्र सूरजभान निवासी बहादुरपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट (4) रामप्रकाश पुत्र सिद्धा निवासी बखोल थाना खन्ना जनपद महोबा को ताश के पत्तों पर हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के मालफड़ से 5650 रुपये 52 अदद ताश के पत्ते, जामातलाशी से 1500 रुपये बरामद किए गए। अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली कर्वी में धारा 13 जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

1. मालफड़-5650 रुपये
2. जामातलाशी-1500 रुपये
3. 52 अदद ताश के पत्ते

बरामदगी करने वाली टीम-

1. श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर
2. आरक्षी प्रकाश मिश्रा
3. रिक्कूट आरक्षी शुभव
4. आरक्षी सोमदेव